संख्या: 1783/64-1-2003-11/2003

प्रेषक,

वी. वेंकटाचलम्
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग 1

लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2003

विषय : पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 12/64-1-03 दिनांक 16 फरवरी, 2003 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में भारत सरकार के राजपत्र संख्या: 270 दिनांक 06 दिसम्बर, 1999 का उल्लेख करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की अद्ययावधिक सूची दर्शाकर संलग्न की गयी थी। जबकि उक्त सूची अद्ययावधिक नहीं है। उक्त शासन के पत्र को संशोधित करते हुए इस पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में सम्मिलित तथा उत्तर प्रदेश के लिए अनुमन्य जातियों की अद्ययावधिक सूची संलग्न की जा रही है। उक्त सूची में सम्मिलित जातियों को भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

2. इसी प्रकार इस पत्र के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में सम्मिलित जातियों की अद्ययावधिक सूची भी संलग्न कर भेजी जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रपत्र पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(वी. वेंकटाचलम)

संख्या: 1783(1)/64-1-2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक (बी0सी0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 25 जीवन प्रकाश बिल्डिंग, नवां तल, के0जी0 मार्ग, नयी दिल्ली को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार वर्मा)
संयुक्त सचिव

NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES
Trikot-I, Bhikaiji Cama Place
New Delhi-110066

Sl.No.	Name of the Castes/Sub-castes/Synonyms/ Communities	Entry No. in the Central List
	UTTAR PRADESH	68
1	Aheria/Aheriya	1
2	Ahir,Yadav	2
3	Arakh, Arakvanshiya	61
4	Alishbaz, Darugar	33
5	Bairagi	30
6	Banjara, Mukeri, Ranki, Mekrani	31
7	Barhai,Badhai, Vishwakarma, Ramgarhia	32
8	Bari	34
9	Bind	35
10	Biyar	64
11	Bhand	36
12	Bhar	38
13	Bhatiara	37
14	Bhurji,Bharbhuja,Bharbhunja,Bhooj,Kandu	69
15	Bot	18
16	Chhipi, Chhipe	17
17	Chikwa, Qassab (Qureshi) Kasai/Qassai, Chak	21
18	Dafali	24
19	Darzi	25
20	Dhivar, Dhiver	55
21	Dhobi(other than those who are already included in the list of SCs of U.P.)	72
22	Dohar	29
23	Faqir	14
24	Gaderia	15
25	Gaddi,Ghosi	16
26	Giri	12
27	Gossain	13
28	Gujar	53
29	Hajjam(Nai), Salmani, Nai, Sain(Nai)	54
30	Halalkhor, Hela, Lalbegi (other than those who are included in the list of SCs).	52
31	Halwai	20
32	Jhoja	19
33	Jogi	3
34	Kachhi, Kachhi-Kushwaha, Shakya	4
35	Kahar, Tanwar Singhariya	71
36	Kalal, Kalwar, Kalar	10
37	Kasgar	73
38	Kasera, Thathera, Tamrakar, Kalaikar	5
39	Kewat or Mallah	59
40	Khumra, Sangtarash, Hansiri	6
41	Kisan	7

44	Kumhar, Prajapati	8
45	Kunjara or Rayeen	11
46	Kurmi	9
47	Kuthaliya Bora(Belonging to Almora, Pithoragarh, Bageswar and Nainital Distts.	70
48	Lodh,Lodha, Lodhi, Lodhi-Rajput	48
49	Lohar, Luhar, Saifi	49
50	Lonia, Noniya, Luniya, Gole Thakur, Nunere	50
51	Madari	62
52	Mali, Saini	39
53	Manihar, Kacher, Lakher, Lakhera(Excluding Lakhera sub-caste of Brahmins In Tehri Garwal Region), Churihar	40
54	Marchha	46
55	Mewati,Meo	56
56	Mirasi	43
57	Mochi(excluding those who are included in the list of SCs of U.P.)	65
58	Momin (Ansar, Ansari), Julah	42
59	Murao or Murai,Maurya	41
60	Muslim Kayastha	44
61	Naddaf (Dhunia), Mansoori, Behna, Kandere, Kadere, Pinjara.	45
62	Nalband,Sais	63
63	Naqqal	26
64	Nayak	28
65	Nut (excluding those who are included in the list of SCs.)	27
66	Patwa, Patua, Pathar (excluding Agarwala, Deobansi,Kharewal or Khandelwal who are sub-castes of Baniya and Kharwar who claim to the rank of Rajput), Talwa	60
67	Rai-Sikh (Mahalam)	74
68	Raj (Memar)	66
69	Rangrez, Rangwa	47
70	Saqqa-Bhishti, Bhishti-Abbasi	57
71	Sheikh Sarvari(Pirai), Pirahi	67
72	Sonar, Sunar	51
73	Tamoli	22
74	Teli, Samani, Rogangar, Teli-Malik(Muslim), Teli Sahu, Teli Rathore	23

"Explanation:- In the above list for U.P. all castes linked with traditional hereditary occupations except those entered except those entered with specific mention of name of Religion, are included, irrespective of whether their members follow [illegible] another religion."

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूची में सम्मिलित जातियाँ

(अद्ययावधिक)

1	अहीर, यादव, यदुवंशीय, ग्वाला	41.	मनिहार, कचेर, लखेरा
2	अरख, अर्कवंशीय	42.	मुराव या मुराई, मौर्य
3	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य	43.	मोमिन (अंसार)
4	कहार, कश्यप	44.	मिरासी
5	केवट या मल्लाह, निषाद	45.	मुस्लिम कायस्थ
6.	किसान	46.	नद्दाफ (धुनिया), मंसूरी, कन्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण)
7.	कोइरी	47.	मारछा
8.	कुम्हार, प्रजापति	48.	रंगरेज, रंगवा
9.	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैंथवार	49.	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
10.	कम्बोज	50.	लोहार, लोहार-सैफी
11.	कसगर	51.	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
12.	कुजड़ा या राईन	52.	सोनार, सुनार, स्वर्णकार
13.	गोसाई	53.	स्वीपर (जो अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित न हो), हलालखोर
14.	गूजर	54.	हलवाई, मोदनवाल
15.	गड़ेरिया, पाल और बघेल	55.	हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
16.	गद्दी, घोसी	56.	राय सिक्ख
17.	गिरि	57.	सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी
18.	चिकवा, कस्साव, कुरैशी, चक	58.	धोबी (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
19.	छीपी, छीपा	59.	कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
20.	जोगी	60.	नानबाई
21.	झोजा	61.	मीरशिकार
22.	डफाली	62.	शेख सरवरी (पिराई), पीराही
23.	तमोली, बरई, चौरसिया	63.	मेव, मेवाती
24.	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक	64.	कोष्टा/कोष्टी
25.	दर्जी, इदरीसी, काकुस्थ	65.	रोड़
26.	धीवर	66.	खुमरा, संगतराश, हंसीरी
27.	नक्काल	67.	मोची
28.	नट (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	68.	खागी
29.	नायक	69.	तंवर, सिंघाड़िया
30.	फकीर	70.	कतुआ
31.	बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी	71.	माहीगीर
32.	बढ़ई, बढई-सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान	72.	दांगी
33.	बारी	73.	धाकड़
34.	बैरागी	74.	गाड़ा
35.	बिन्द	75.	तंतवा
36.	बियार	76.	जोगिया
37.	भर, राजभर	77.	पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
38.	भुर्जी या भड़भूजा, भूंज, कांदू, कसौधन	78.	जाट
39.	भठियारा	79.	कलाल, कलवार, कलार
40.	माली, सैनी		

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची

1. अगरीया
2. बधिक
3. बादी
4. बहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बाजगी
9. बलहर
10. बलई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुष
14. बांसफोर
15. बरवार
16. बसोड़
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेड़िया
20. भ्रांतु
21. भुइया
22. बोरिया
23. भदयार
24. चमार, झूसिया, धूसिया, जाटव
25. नीरो
26. दबगर
27. धागंर
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. धरमी
35. धसिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबुड़ा
39. हरी
40. हेला
41. कलाबाज
42. कंजड़
43. कबडिया
44. करवल
45. खरैता
46. खरबार (बनवासी को छोड़कर)
47. खटिक
48. खरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. पहरिया
59. पासी, तरमाली
60. पतरी
61. रावत
62. सहरिया
63. सनोरिया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. थारू
2. बोनसा
3. भोटिया
4. राजी
5. जौनसारी

शासनादेश संख्या -111 भा.स./26-3-2003-3(7)/2003 दिनांक 3-7-2003 के द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया है :-

6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)।
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
8. सहरिया (ललितपुर जिले में)
9. परहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)
12. अगरिया (सोनभद्र जनपद में)
13. पटारी (सोनभद्र जनपद में)
14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग-1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

श्रेणी 2 का प्रमाण-पत्र नं.-4

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/श्री.. ग्राम...................................तहसील................................... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश राज्य की ....जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची दो (अधिसूचना 22/16/12-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 8 दिसम्बर 1995 द्वारा यथा संशोधित) से अच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम............................ तहसील.................................... जिला..................................... में सामान्यत: रहता है।

स्थान.......................................
दिनांक.......................................
मोहर.......................................
अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.......................................
पूरा नाम.......................................
पद नाम.......................................
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार